THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) Universities are autonomous in character. UGC has been assigned the responsibility of co-ordination and determination of standards in universities. In discharge of its responsibility, UGC has framed various Regulations and guidelines which all the Universities are expected to follow.

(b) and (c) In order to ensure that all the academic activities of the University, including conduct of examinations, declaration of results, start of new academic session, etc. take place in time, the UGC has formulated and circulated to all universities an Academic Calendar. The UGC had also set up a Committee to examine the issues relating to implementation of the Academic Calendar in the universities. The Committee, in its report, had suggested award to the universities to encourage implementation of the Academic Calendar. The recommendations were considered by the Commission and circulated to all the universities and State Governments emphasising the need to implement the Academic Calendar as also the main recommendations of the Committee.

भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता

715. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार और खिलाड़ी-वार कितनी-कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ग) क्या वितरित धनराशि प्रचुर मात्रा में नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के जीवन यापन के लिए कोई उपचारात्मक कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां, सरकार निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत भूतपूर्व उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है।

(1) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन देने के लिए खेल कोष

इस योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित दर पर मासिक पेंशन प्रदान की जाती है:–

(क) ओलंपिक खेलों में पदक विजेता 2500/- रुपये प्रतिमास

(ख) ओलंपिक तथा एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेताओं को 2500/- रुपये

(ग) ओलंपिक तथा एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप में रजत तथा कांस्य पदक विजेताओं को 2000/- रुपये

(घ) एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 2000/- रुपये प्रतिमास

(ङ) राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को 2000/- रुपये प्रतिमास पात्र खिलाड़ियों को पेंशन जीवन बीमा निगम के माध्यम से प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत राज्य-वार लाभार्थियों की सूची विवरण पर संलग्न (नीचे देखिए)

(2) खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष

इस योजना के अंतर्गत, उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जो दरिद्र अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं अथवा जिनकी मासिक आय 3000/- रुपये से कम है, उन्हें प्रतिमास 2500/- रुपये तक की पेंशन दी जाती है। जरूरतमंद खिलाड़ियों को चिकित्सा उपचार के लिए 40,000/- रुपये तक की एकमुश्त सहायता भी दी जाती है।

(ग) से (ङ) ये योजनाएं हाल ही में संशोधित की गई हैं और पेंशन की दरें बढ़ा दी गई हैं। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन देने के लिए खेल कोष की योजना के अंतर्गत, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं तथा ओलंपिक एवं एशियाई खेल विधाओं मे विश्व कप/विश्व चैंपियनशिपों में रजत और कांस्य पदक विजेताओं के लिए पेंशन की राशि 1500/- रुपये से बढ़ाकर 2000/- रुपये तथा ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं और विश्व कप एवं विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पेंशन की राशि 2000/- रुपये से बढ़ाकर 2500/- रुपये प्रतिमास कर दी गई है। इसी प्रकार, खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की योजना के अंतर्गत, पेंशन की राशि 2000/- रुपये से बढ़ाकर 2500/- रुपये कर दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन की योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की संख्या	पिछले दो वर्षों के दौरान सहायता के रूप में दी गई राशि	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की संख्या	पिछले दो वर्षों के दौरान सहायता के रूप में दी गई राशि
1	2	3	4	5	6
			रुपये		
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	2,16,000/-	1	24,000/-
2.	असम	1	36,000/-	–	–
3.	बिहार	5	1,92,000/-	–	–
4.	गुजरात	2	96,000/-	1	24,,000/-
5.	हरियाणा	6	2,16,000/-	–	–
6.	हिमाचल प्रदेश	1	48,000/-	–	–
7.	कर्नाटक	5	2,44,000/-	5	1,20,000/-
8.	केरल	5	1,92,000/-	2	48,000/-
9.	महाराष्ट्र	30	12,60,000/-	3	72,000/-
10.	मध्य प्रदेश	2	96,000/-	1	24,000/-
11.	उड़ीसा	1	48,000/-	–	–
12.	पंजाब	44	18,36,000/-	–	–
13.	राजस्थान	7	2,52,000/-	–	–
14.	तमिलनाडु	11	4,92,000/-	2	48,000/-
15.	उत्तर प्रदेश	13	5,28,000/-	–	–
16.	पश्चिम बंगाल	23	9,12,000/-	3	72,000/-
17.	दिल्ली	35	14,52,000/-	1	24,000/-
18.	चण्डीगढ़	4	1,68,000/-	–	–
		201		19	